बीस रुपये TWENTY RUPEES INDIA भारत

324

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

रा.प्र.क्र........................ निगरानी 5765/2018/टीकमगढ़/भू.रा.

1. फिरूवा तनय गंसू ढीमर आयु 65 वर्ष
2. नन्ना तनय गंसू ढीमर आयु 60 वर्ष
3. बैजनाथ तनय गंसू ढीमर आयु 58 वर्ष
4. काशीराम तनय गंसू ढीमर आयु 50 वर्ष

निवासी ग्राम चक्र माधवसिंह, तहसील खरगापुर जिला टीकमगढ़ म.प्र.

....निगराकार / आवेदकगण

दिनांक 19.9.18 को श्री प्रदीप श्रीवास्तव अभि० द्वारा प्रस्तुत। 19-9-18 SO पं० दि० 4-10-18

बनाम

1. हजारी तनय मोहना ढीमर आयु 70 वर्ष
2. घंसू तनय मोहना ढीमर आयु 65 वर्ष
3. हल्काई तनय मोहना ढीमर आयु 53 वर्ष

निवासी ग्राम कोटरा(खिरक मचया का पुरवा) तहसील खरगापुर जिला टीकमगढ़ म.प्र.

..प्रतिनिगराकार / अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. 1959

निगरानी विद्वान अधिनस्थ राजस्व निरीक्षक मण्डल कुडीला के राजस्व प्रकरण क्रमांक 89/अ–12/2017–18 में तहसील खरगापुर जिला टीकमगढ़ म.प्र. के आदेश दिनांक 16.7.2018 के विरूद्ध

महोदय,

निगरानी का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है –

1. यह कि आवेदकगण के अधिपत्य की भूमि खसरा न. 859, 859अ, 859ब, 859स, 859द, 859ग रकवा क्रमशः 9.60, 1.68, 202, 1.57, 1.92, 1.91 भूमि स्थित ग्राम चक्र माधवसिंह तहसील खरगापुर जिला टीकमगढ़ म.प्र. में स्थित है। वादग्रस्त भूमि पर संवद् 2013 के पूर्व से वादी आवेदकगण के पितामह कल्ले ढीमर का संवद 2014, 2015, 2016 एवं 2017 पर उर्दा कौदो आदि की फसल बोकर मौके पर संवद 1916 में कब्जा

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ 2

प्रकरण क्रमांक – निग.- 5765/2018

फिरूवा आदि **विरूद्ध हजारी आदि**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11 -01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री प्रदीप श्रीवास्तव उपस्थित । 3. प्रस्तुत निगरानी राजस्व निरीक्षक मण्डल कुडीला, जिला-टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 89/अ-12/2017-18 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 16-07-2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी । 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधनवर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है । 5. अत: प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 18-03-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये । (आर.के. जैन) सदस्य 11.01.19	